



Neutral Citation No. - 2026:AHC:167433

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 38576 वर्ष 2025

अजीत और 8 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अभय प्रताप सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है और उनके मध्य दिनांक 09.07.2025 को समझौता हुआ था तथा उक्त समझौता वर्तमान आवेदन के साथ दाखिल किया गया है। पूर्व में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



इस न्यायालय ने पक्षकारों को समझौते के सत्यापन हेतु अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। उक्त आदेश द्वारा अवर न्यायालय को सत्यापन आख्या प्रेषित करने का भी निर्देश दिया गया था।

3. आख्या के अनुसार, पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, जिनकी पहचान उनके- अपने अधिवक्ताओं द्वारा की गई तथा समझौते का सत्यापन विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.02.2026 को किया गया।

4. चूंकि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है और प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 आवेदक के विरुद्ध अभियोजन नहीं चलाना चाहता है, अतः इसे लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

5. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. उपर्युक्त तथ्यों से विवाद नहीं करते हैं।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य, जो (2019) 5 एससीसी 688 में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में समझौते/सुलह के आधार पर कार्यवाही को निरस्त किए जाने के सिद्धांत निर्धारित किए हैं। प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

“15. इस बिंदु पर विधि तथा उपर्युक्त उल्लिखित इस न्यायालय के अन्य निर्णयों पर विचार करते हुए, यह अभिनिर्धारित एवं माना जाता है कि:

i) संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग संहिता की धारा 320 के अंतर्गत गैर-शमनीय अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने हेतु किया जा सकता है, जिनका

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्वरूप अत्यधिक एवं प्रमुख रूप से सिविल है, विशेष रूप से वे जो वाणिज्यिक लेन-देन से उत्पन्न हुए हों अथवा वैवाहिक संबंध या पारिवारिक विवादों से उत्पन्न हुए हों और जब पक्षकारों ने अपने मध्य संपूर्ण विवाद का समाधान कर लिया हो;

ii) ऐसी शक्ति का प्रयोग उन अभियोजनों में नहीं किया जाना चाहिए जिनमें जघन्य एवं गंभीर अपराध, मानसिक विकृति से संबंधित अपराध अथवा हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराध सम्मिलित हों। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते हैं और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं;

iii) इसी प्रकार, ऐसी शक्ति का प्रयोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष विधियों के अंतर्गत अपराधों के लिए अथवा लोक सेवकों द्वारा उस क्षमता में कार्य करते हुए किए गए अपराधों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जिन्हें केवल पीड़ित और अपराधी के मध्य समझौते के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता;

iv) धारा 307 भा.दं.सं. तथा शस्त्र अधिनियम आदि के अंतर्गत अपराध जघन्य एवं गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं और इसलिए इन्हें केवल व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि समाज के विरुद्ध अपराध माना जाना चाहिए। अतः धारा 307 भा.दं.सं. और/या शस्त्र अधिनियम आदि के अंतर्गत ऐसे अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही, जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, पक्षकारों द्वारा अपने संपूर्ण विवाद का समाधान कर लिए जाने के आधार पर संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरस्त नहीं की जा सकती। तथापि, उच्च न्यायालय केवल इस आधार पर अपने निर्णय को नहीं रोक सकता कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में धारा 307 भा.दं.सं. का उल्लेख किया गया है अथवा इस प्रावधान के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है। उच्च न्यायालय के लिए यह जांच करना खुला होगा कि धारा 307 भा.दं.सं. को केवल औपचारिकता के लिए जोड़ा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है अथवा अभियोजन ने पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए हैं, जो सिद्ध होने पर धारा 307 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किए जाने का आधार बनेंगे। इस प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय चोट की प्रकृति, यह कि ऐसी चोट शरीर के महत्वपूर्ण/संवेदनशील अंगों पर पहुंचाई गई है या नहीं, प्रयुक्त हथियारों की प्रकृति आदि को देख सकता है। तथापि, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा अभ्यास केवल जांच के पश्चात साक्ष्य एकत्र किए जाने और आरोप-पत्र दाखिल किए जाने/आरोप विरचित किए जाने और/या विचारण के दौरान ही किया जा सकता है। जब मामला अभी जांचाधीन हो, तब ऐसा अभ्यास अनुमन्य नहीं है। अतः इस न्यायालय के नरेंद्र सिंह (उपरोक्त) के मामले में निर्णय के अनुच्छेद 29.6 और 29.7 में निकाले गए अंतिम निष्कर्षों को सामंजस्यपूर्ण रूप से तथा समग्र रूप में पढ़ा जाना चाहिए और उपर्युक्त परिस्थितियों में उसी प्रकार पढ़ा जाना चाहिए;

v) गैर-शमनीय अपराधों, जो निजी प्रकृति के हों और जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव न हो, के संबंध में आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने हेतु संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते समय, जहां पीड़ित और अपराधी के मध्य समझौता/सुलह हो गई हो, उच्च न्यायालय के लिए अभियुक्त के पूर्ववृत्त; अभियुक्त का आचरण, अर्थात् क्या अभियुक्त फरार था और वह क्यों फरार था; उसने शिकायतकर्ता के साथ समझौता करने के लिए किस प्रकार व्यवस्था की आदि पर विचार करना आवश्यक है।”

7. उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत, चूंकि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है और पक्षकारों के मध्य समझौते का सत्यापन विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही किया जा चुका है, अतः वर्तमान आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है।



8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है और आपराधिक मुकदमा संख्या 274 सन् 2018 (राज्य बनाम अजीत और अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 0221 सन् 2017, धारा 147, 148, 323, 324 एवं 504 भा.दं.सं., थाना- खुर्जा देहात, जिला- बुलंदशहर, से उत्पन्न हुआ है तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खुर्जा, जिला-बुलंदशहर के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

10 अगस्त, 2026

अकबर